



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265523
CG-DL-E-19082025-265523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3685]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947

No. 3685]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3789(अ).— केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को अधिसूचित करती है:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1	श्रीमती सीमा सरकार, आईएएस वस्त्र एवं रेशम उत्पादन आयुक्त, पश्चिम बंगाल	अधिनियम की धारा 4(3)(एफ) के तहत पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर नामित।

[फा. सं. 25011/02/2025-रेशम]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2025

S.O. 3789(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Smt. Sima Sarkar, IAS Commissioner of Textiles & Sericulture, West Bengal	Nominated on the recommendation of Govt. of West Bengal under Section 4(3) (f) of the Act.

[F. No. 25011/02/2025-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.